REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2018

ग्रामीण श्रमिकों का पलायन कारण एवं निदान

डॉ. श्रीमती संजू पाण्डेय[1] , डॉ. प्रवीण कुमार पाण्डेय[2]
[1]सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र , शासकीय एन.के. महाविद्यालय, कोटा.

सारांश

पलायन विकास एवं विस्तार की चाहत में स्थानांतरण की स्वाभाविक प्रक्रिया है। इससे विकास के साथ–साथ बेहतर रोजगार एवं आय की परिकल्पना साकार होती है। पलायन से गाँवों की दशा बदल रही है। अब गॉवों में शहरी वातावरण की झलक दृष्टिगोचर हो रही है। तीव्रगति से पलायन के कारण सामाजिक विसंगतियों का जन्म हो रहा है। गॉवों में ही शिक्षा रोजगार एवं बुनियादी सुविधाओं का बढ़ाकर पलायन की गति को कम किया जा सकता है।

कीवर्ड – श्रमिक पलायन, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, कुटिर उद्योग।

प्रस्तावना :

पलायन शब्द से ऐसा आभासा होता है जैसे किसी समस्या से विचलित होकर स्थान परिवर्तन करना परंतु वास्तव में पलायन स्थानांतरण की प्रक्रिया है। स्थानांतरण की प्रक्रिया से मानव सभ्यता को विकास एवं विस्तार को बढ़ावा मिलता है। जब उच्च शिक्षा प्राप्ति, रोजगार एवं बेहतर जीवन की परिकल्पना को साकार करने हेतु पलायन किया जाता है तो इसे हम उचित पलायन कहेंगे परन्तु जब प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, सामाजिक विषमता, शोषण एवं भौतिकवादी सोच से पलायन होता है तो यह समाज व राष्ट्र के लिए अनुचित माना जाता है।

''वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार 2013 में दुनिया भर में 22 करोड़ से अधिक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गये। विश्व में परिस्थितियॉ जिस तेजी से बदल रही है प्रवास की गति और बढ़ने की संभावना है और 2050 तक स्थानांतरण करने वाले की संख्या 40 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है।'' पलायन की स्थिति के गहन अध्ययन से यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की गई कि पलायन विशेष रूप से गॉवों से शहरों की ओर हो रहा है तथा युवा वर्ग एवं परिवार अधिक संख्या में पलायन कर रहे हैं।

पलायन के संदर्भ में भारत एवं छ.ग. की ओर नजर डाले तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में ग्रामीण एवं शहरी आबादी का अनुपात 83 एवं 17 प्रतिशत था। 50 वर्ष बाद 2001 की जनगणना में इकसा प्रतिशत 76 एवं 24 एवं 2011 में 69 एवं 31 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह छ.ग. में 1951 में कुल जनसंख्या का ग्रामीण भाग 95 % था वहीं 2011 में घटकर 76.76 % हो गया है इससे स्पष्ट होता है कि भारत एवं छ.ग. में ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर प्रवास बढ़ा है।

छ.ग. में पलायन की स्थिति का अध्ययन निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रख कर किया गया है –

1. श्रमिक पलायन की वास्तविक स्थिति का अध्ययन।

2. श्रमिक पलायन के कारणों की व्याख्या।
3. शासन की नीति एवं श्रमिक पलायन में संबंध।
4. श्रमिक पलायन रोकने हेतु सुझाव।

छ.ग. के श्रमिकों की पलायन की स्थिति –

टाइम्स आफ इंडिया में छ.ग. सरकार द्वारा अधिकारिक तौर पर जारी ऑकड़ों के अनुसार पिछले (2012–15) तीन वर्षो में 95324 लोगो ने अन्य क्षेत्रों में प्रवास किया है। इसमें सर्वाधिक (29190) जांजगीर चांपा एवं सबसे कम (62) कोरबा जिलों से श्रमिकों का पलायन हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्रवासित आबादी का दो तिहाई भाग गरीबी रेखा से नीचे तबके का है।

छ.ग. से श्रमिकों के पलायन के कारण –

छ.ग. राज्य प्राकृतिक सम्पदा, खनिज सम्पदा एवं वन संसाधन से परिपूर्ण राज्य है, इसे 'धान का कटोरा कहा जाता है, मानव श्रम की स्थिति भी अच्छी है परंतु फिर भी यहां पलायन की समस्या वृहद रूप ले रही है।

छ.ग. में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सूखा अत्यधिक श्रम मूल्य की चाहत, भौतिकवादी जीवन शैली आवागमन के सुविधाओं का विस्तार, आधारभूत संरचना की कमी, जनसंख्या पर कृषि का बढ़ता दबाव एवं भेदभाव पूर्ण सामाजिक व्यवस्था, ऋणग्रस्तता प्राकृतिक प्रकोप, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन एवं शहरी आकर्षण ने छ.ग. के श्रमिकों को पलायन हेतु प्रोत्साहित किया है।

छ.ग. शासन की नीति का पलायन पर प्रभावः–

वर्तमान परिदृश्य में छ.ग. शासन की नीतियों का पलायन पर प्रभाव जानने हेतु हमने कुछ विशेष क्षेत्रों का अध्ययन कर संबंध जानने का प्रयास किया है।

1 कृषि नीति –

यहां का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। यहॉ की 80 % जनसंख्या कृषि पर निर्भर है जिसमें 55% सीमांत कृषक एवं 25% कृषि श्रमिक है और यही वर्ग पलायन से ज्यादा प्रभावित है।

कृषि नीति में भूमि का आकार सिंचाई की व्यवस्था, कृषि यंत्रीकरण एवं नवीन तकनीक की स्थिति निम्नानुसार है, जैसे – यहां के 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी के है, केवल 31% क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है यहां की लगभग 55 % कास्त भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण दूसरी फसल लेना संभव नहीं है कृषि हेतु आवश्यक संरचना, बीज प्रक्रिया केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, खाद एवं गोदाम की व्यवस्था अभी शुरूआती दौर में होने के कारण कृषक केवल कृषि से अपनी आजीविका नहीं चला पाते एवं विवश होकर पलायन कर जाते है।

2. पशुपालन –

छ.ग. में पशुधन की प्रदेश में सकल राज्य घरेलु उत्पाद में भागीदारी 2015–16 में 1.27% थी। पशु संपदा के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन हेतु संबंधित उद्योगों की स्थापना पर प्रयास जारी है। राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94% मछली पालन के अंतर्गत विकसित सिंचाई परंतु फिर भी समुचित रोजगार के अभाव में पलायन बढ़ा है।

3. वन नीति –

भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.38 % भाग वनाच्छादित है जबकि छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85% है, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में तीसरे स्थान पर है। वास्तव में वन पर्यावरण अन्य उत्पादक क्षेत्रों को लाभान्वित करने का स्त्रोत है तथापि वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलु उत्पाद में हिस्सा मात्र (2015–16) में लगभग 2.24% है। वन संपदा की अधिकता के बावजूद छत्तीसगढ़ से

पलायन हो रहा है। लघु वनोपजों का संग्रहण विक्रय में शासकीय नीतियों का लाभ ग्राम वासियों को प्राप्त हो रहा है इसके बावजूद आय की अनिश्चितता के कारण लोग पलायन कर रहे हैं।

4. खनिज नीति –

छत्तीसगढ़ की धरती खनिजों से से परिपूर्ण है इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भंडार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। 2014–15 में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का क्षमता 22. 02% लौह अयस्क 22.82% चुना पत्थर 8.03% डोलोमाईट 39.26% बाक्साइड 7.04% तथा टिन 100% रहा। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण केन्द्र बन रहा है। यहाँ खनन उत्खनन के क्षेत्र का सकल घरेलु उत्पाद में भागीदारी 2014–15 में 11.79% रही।

अतः खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य से ग्रामीण श्रमिकों का पलायन एक गंभीर विषय जिस पर हमें वृहद रूप से विचार करना होगा। खनिज सम्पदा से संबंधित उद्योगों में रोजगार संरचना ग्रामीणों के लिए उपयुक्त नही हैं यहाँ पूँजी कौशल एवं आधारभूत संरचना के कमी के कारण पलायन बरकरार है।

5. उद्योग नीति –

किसी भी देश के आर्थिक विकास में औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उद्योगों के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है वहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं यहाँ अपार खनिज संपदा एवं आधारभूत औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर कृषि श्रमिकों की अधिकता को उद्योगों में अवशोषित कर प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। ऑकड़ों से छ.ग. राज्य में विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलु उत्पाद में भागीदारी 2014–15 में 16.65% है। समुचित उद्योगनीति एवं ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार को समन्वय स्थापित न होने के कारण ही यहाँ के श्रमिक पलायन करते है।

6. आधारभूत संरचना –

i. विद्युत – विघुत क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ सामान्य के जीवन को बेहतर बनाता हैं छ.ग. विद्युत के क्षेत्र में आत्म निर्भर है तथा यह अन्य उद्योगों के निर्माण व विस्तार में दृढ़ आधार प्रदान करता है। वर्तमान में 2015–16 में जीएसडीपी में विद्युत का योगदान 8.34% है। अतः यह छ.ग. का धनात्मक पहलू है।

ii. परिवहन एवं संचार – ग्रामीण श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु परिवहन एवं संचार मुख्य आवश्यकता है। इसके माध्यम से ही रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य उद्योग एवं कृषि क्षेत्र में नवप्रवर्तन लाकर पलायन को रोका जा सकता है। परंतु यहां रेल एवं वायु परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की अच्छी स्थिति है। संचार में भी डाक, कोरियर, टेलीफोन एवं ब्राडबैंड सेवाएँ है परंतु इनकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित है।फल स्वरूप ग्रामीण श्रमिक पलायन बढ़ा है।

iii. ग्रामीण विकास एवं रोजगार – 2011 की जनसंख्या के अनुसार छ.ग. की जनसंख्या 255 मिलियन है। यहां 76.76% जनसंख्या ग्रामीण है। पिछले पांच दशकों के अध्ययन से पता चलता है कि यहां ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी पायी गई है जहा 1951 में यहां ग्रामीण जनसंख्या 95% थी वहीं 2011 में यह 77% है। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास में – शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, स्वच्छता, जल–व्यवस्था एवं पशुओं के रहन–सहन एवं चिकित्सकीय व्यवस्था आवश्यक है। यद्यपि छ.ग. में ग्रामीण विकास हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित है। जैसे – मनरेगा कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान (NRLM) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU & GKY), रोशनी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सांसद आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) सामुदायिक स्वच्छता परिसर आदि। इन समाप्त कार्यक्रमों की शुरूआत हो चुकी है परंतु ग्रामीण अभी इन योजना के उद्देश्य को समझ नहीं पाये हैं एवं जागरूकता के अभाव में पलायन निरंतर जारी है।

iv. शिक्षा एवं स्वास्थ्य – 21वीं सदी में मानवीय पूँजी का निर्माता ही विकास दर को प्रभावित करेगा। छ.ग. ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, दिव्यांग, वृद्ध एवं बच्चे के स्तर में सुधार लाकर ही ग्रामीण श्रमिकों के पलायन को रोका जा सकता है।

छ.ग. में शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु अधोसंरचनात्मक विकास, शिक्षा के गुणवत्ता में वृद्धि पर ध्यान दिया जाता रहा है जिसके तहत 2015 के प्राथमिक स्तर पर 80% बच्चो का पंजीयन हुआ है। मध्यान्ह भोजन, सर्व शिक्षा अभियान, बालिका प्रोत्साहन योजना, कस्तूरबा गाधी आवासीय विद्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, साक्षर भारत कार्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, माडल स्कूल निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तकों का वितरण, सरस्वती सायकल योजना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था ग्रामीण श्रमिकों तक लाने का प्रयास सराहनीय है। इसी तरह छ.ग. में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है वर्तमान में यहां 08 राजकीय विश्वविद्यालय, 206 शासकीय महाविद्यालय, 14 अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं 244 अशासकीय अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय संचालित है आदिवासी अंचल बस्तर एवं सरगुजा में दो विश्वविद्यालय संचालित है। जो भविष्य में छ.ग. में ग्रामीण श्रमिकों के प्रवास में कमी लायेगी।

v. स्वास्थ्य – छ.ग. में ग्रामीण श्रमिकों में कुपोषण, निम्न जीवन स्तर, बीमारियाँ तथा स्वास्थ्य सुविधा की कमी अभी भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में जल, स्वच्छता एवं पोषण पर ग्रामीण को विशेष सुविधा उपलब्ध करानी होगी। छ.ग. में 2001 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर व्यय 4.1 % था। जो राज्यों में औसत 5.3 % हो गया है। जो राज्यों के औसर 4.9 % से अधिक है। तथापि यहां के ग्रामिण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरूआत तो हुई है परन्तु पर्याप्त नही हैं। इसलिए भी श्रमिकों का पलायन बढता है।

छ.ग. में ग्रामीण श्रमिक पलायन रोकने हेतु सुझाव –

छ.ग. में ग्रामीण विकास में निम्न बातो का समावेश कर पलायन पर रोक लगाया जा सकता है –

1. कृषि क्षेत्र में बहुफसली कार्यक्रम, स्त्रोतो के आधार में वृद्धि, खाद्यान्न की जगह दलहनी एवं तिलहनी फसलों का उत्पादन, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा, उत्तम फसल प्रतिरूप को प्रोत्साहित कर, विनियोजन हेतु पूँजी एवं आवश्यक तकनीक का ज्ञान देकर।
2. ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे माल एवं श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ऐसे में देशीय उद्योगों को बढ़ावा देकर न्यायपूर्ण वितरण एवं लघु कौशल के साधनों का उपर्युक्त उपयोग कर कम पूँजी में अधिक रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं।
3. उद्योगों हेतु ऐसी नियमावली हो जो मजदूरी एवं उत्पादकता में धनात्मक संबंध स्थापित कर सके ग्रामीण श्रमिकों की उत्पादन एवं बाजार प्रक्रिया में उचित भागीदारी हो, तथा बहु आयामी रोजगार का निर्माण करके।
4. ग्रामीण आधार संरचना विकास के उचित कार्यक्रम का प्रारंभ करना तथा उसके ग्रामीणों का सशक्त भूमिका निर्धारित कर।
5. ग्रामीण श्रमिकों में विशेष वर्ग जहाँ दिव्यांग, बच्चे वृद्ध एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रमिकों तथा पिछड़े क्षेत्रो हेतु विशेष नीति बनाकर उन्हें प्रोत्साहित करके।
6. छ.ग. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु चलाये जा रहे समस्त कार्यक्रमों में ग्रामीण श्रमिकों के दृष्टिकोण से उसमें सुधार कर कार्यक्रमों का सतत मूल्यांकन एवं समीक्षा हो तथा ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार उसका क्रियान्वयन किया जाये। पलायन तथा ग्रामीण श्रमिकों हेतु सरल वित्तीय सहायता एवं अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की संभावना को बढ़ाया जाये।
7. मानवीय पूँजी ही सर्वश्रेष्ठ पूँजी होती है इसलिए छ.ग. के ग्रामीण क्षेत्र में उचित शिक्षा एवं स्वास्थ्य नीति केवल आकड़ों में प्रदर्शित न हो बल्कि व्यावहारिक रूप से संचालित हो।
8. पर्यावरण एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों में ग्रामीण विकास नीति में उचित स्थान देकर विकास मार्ग को प्रशस्त किया जाये।
9. गाँवों में शहरों जैसी सुविधाएँ जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के 'पूरा माडल'' में है जहाँ रोजगार, शिक्षा, बिजली, स्वच्छता, आवास, चिकित्सा, सड़क एवं संचार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराकर, ग्रामीण श्रमिकों के पलायन पर रोक लगाना संभव होगा।

10. छ.ग. की खनिज सम्पदा, वन संपदा एवं विद्युत उपयोग पर यहां की जनता का अधिकार है अतः ग्रामीण श्रमिकों को इनके उपयोग एवं उत्पादन में प्राथमिकता प्रदान कर दीर्घकालीन लाभ का वातावरण निर्मित करना होगा जिससे छ.ग. से ग्रामीण श्रमिकों का पलायन शनैः शनैः कम होगा।

निष्कर्षः—

स्पष्ट है कि छ.ग. सरकार ने भी ग्रामीण श्रम पलायन को रोकने हेतु सराहनीय प्रयास किया है यहाँ नीतियाँ तो बनी ही है साथ ही भली भांति उनका पालन भी हुआ है। छ.ग. शासन को कृषि (जैविक), खाद्य वितरण योजना, दलहन एवं कौशल विकास कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। वन सम्पदा, खनिज सम्पदा एवं विद्युत छ.ग. में विकास के सकारात्मक पहलु है जो ग्रामीण श्रमिकों को उच्च जीवन स्तर एवं रोजगार की संभावना बढ़ाते है उन्हें पलायन से रोकते हैं। आवश्यकता है समाज के दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ग्रामीण एवं स्थानीय शासन के बीच उचित संतुलन स्थापित किया जाय। ग्रामीण विकास में शिक्षा, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि अधिकार, आवास स्थानीय लोकतंत्र को कार्य में रखकर ही पलायन की समस्या से निजात पाया जा सकता है। गाँवों में शहरों की सुविधा मुहैया कराकर तथा जन सामान्य के अनुकूल कार्यक्रमों को अपनाकर ही हम क्षमता मूलक समाज स्थापित कर सकेंगे जो पलायन को रोकने में मजबूत आधार प्रदान करेगा।

संदर्भ ग्रथंः—

1 भारत 2016

2 छ.ग. का आर्थिक सर्वेक्षण—2016

3. भारतीय अर्थव्यस्था रूद्रदत्त सुंदरम।

4. सिन्हा विकास कुमार "गरीबी व बेरोजगारी के कारण होता है पलायन", कुरूक्षेत्र, फरवरी 2012 पृष्ठ 4—12

5. अखिलेश चंद्र मिला रोजगार, रूका पलायन कुरुक्षेत्र फरवरी—2012 पृष्ठ 14—19

6. मधुकर कौरव, गॉवो में पलायन का बदलता स्वरूप कुरूक्षेत्र सितम्बर—2014 पृष्ठ 3—6

7. डॉ. अनीता मोदी गॉवो मे पलायन की बढती प्रवृत्ति चुनौतिया एवं समाधान कुरूक्षेत्र सितम्बर—2014 पृष्ठ 7—9